ट्रेन/कार के आरक्षण की नीति

1.0 उद्देश्य

सामान्य ट्रेन परिचालन में बिना किसी हेर-फेर या अन्य दैनिक यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा पहुँचाए बिना ट्रेन/कार को विशेष प्रयोजन जैसे कि पारवहन आदि हेतु आरक्षित करने तथा इसकी प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह नीति बनाई गई है। यह नीति प्राथमिक तौर पर वास्तविक पर्यटकों/समूहों/विद्यार्थियों आदि को सुविधा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। डीएमआरसी के पास विशेष अनुरोध के आधार पर आरक्षण की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित होगा। इस संबंध में डीएमआरसी का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

2.0 छूट

2.1 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIP) के आने-जाने के लिए आरक्षित ट्रेन/कोच को इस नीति से छूट प्राप्त है।

2.2 कोई अन्य बुकिंग समय-सीमा के आधार पर न कि फेरे के आधार पर ।

2.3 ट्रेन/स्टेशनों/कारों के भीतर शूटिंग, फिल्म बनाने के संबंध में कारवाई नियत अवधि/समय के लिए डीएमआरसी के परिसरों जिसमें स्टेशन या ट्रेन शामिल है, को किराए पर लेने की नीति के अनुरूप की जाएगी।

2.4 यह नीति किसी भी व्यक्ति या समूह को डीएमआरसी की प्रणाली जैसे टिकट व्यवस्था, सुरक्षा आदि की अवहेलना करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

3.0 पात्रता

3.1 कोई पर्यटक परिचालक, सरकारी अथवा निजी एजेंसी, समूह की ओर से कोई व्यक्ति या विद्यालय निम्न से कोच/ट्रेन बुक कर सकता है:-

(i) मेट्रो नेटवर्क का कोई भी स्टेशन

(ii) एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का कोई भी स्टेशन

3.2 स्कूल की बुकिंग के मामले में आवेदन विद्यालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा।

3.3 पर्यटकों के लिए बुकिंग के लिए आवेदन, पर्यटक परिचालक/संबंधित एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा।

4.0 दिशा-निर्देश

प्रभारणीय आधार पर ट्रेन/कार की बुकिंग पर्यटकों, समूहों या किसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए की जा सकती है।

4.1 **पर्यटकों**: यहां पर्यटकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

ऐसे व्यक्तियों का समूह जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राथमिक तौर पर पर्यटन के लिए आए हैं और पर्यटक परिचालक/एजेंसी इनकी बुकिंग कर रही हो । डीएमआरसी ऐसे पर्यटकों को जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे जानकारी प्राप्त करने हेतु अधिक उत्सुक होंगे उन्हें इस प्रयोजन के लिए डीएमआरसी सुविधा प्रदान कर सकती है ताकि उनको अनुपम अनुभव प्राप्त हो।

4.2 **समूह :** ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका उद्देश्य समूह में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करने का है और जो यात्रा के उद्देश्य से कार/ट्रेन को आरक्षित करने की इच्छा रखते हों।

4.3 **स्कूल के बच्चे :** वास्तविक रूप से स्कूल के बच्चों का समूह जो मेट्रो प्रणाली के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं तथा यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। स्कूल के कम से कम 50 बच्चे हों तथा उनकी सहायता हेतु साथ में 2 अध्यापक भी होगे। स्कूल के बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए उनकी बुकिंग वरीयता के आधार पर शनिवार और रविवार को की जाएगी।

4.4 आवेदक कार/ट्रेन की बुकिंग के लिए 'अनुलग्नक - ए' के अनुसार आवेदन करें।

5.0 **टेरिफ**

ट्रेन/कार के लिए बुकिंग प्रभार जिसमें यात्रा किराया एवं सुविधा प्रभार शामिल है विशेष सुविधा प्रदान कराने हेतु देय है (पैरा 8)। बुकिंग प्रभार का विवरण नीचे दिया गया है:-

5.1 **यात्रा किराया**

अंतिम टर्मिनल स्टेशनों के बीच वास्तविक सीएसटी किराया संबंधित लाइनों की कार क्षमता के अनुरूप प्रभारित किया जाएगा। तदनुसार, संबंधित लाइनों का किराया निम्न प्रकार होगा:-

क्रम सं.	लाइन/लाइनें	दिवस	प्रति कार किराया
1.	लाइन-1	सोमवार से शनिवार	रूपए 15000/-
		रविवार एवं राष्ट्रीय अवकास	रुपए 12000/-
2.	लाइन - 2 एवं 3/4	सोमवार से शनिवार	रूपए 18000/-
		रविवार एवं राष्ट्रीय अवकास	रुपए 15000/-
3.	लाइन - 5	सोमवार से शनिवार	रुपए 10000/-
		रविवार एवं राष्ट्रीय अवकास	रूपए 7500/-
4.	लाइन - 6	सोमवार से शनिवार	रुपए 15000/-
		रविवार एवं राष्ट्रीय अवकास	रूपए 12500/-
5.	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन	सभी दिवसों के लिए	रुपए 12000/-

5.2 **सुविधा प्रभार**

सुविधा प्रभार के रुप में उपरोक्त 5.1 पर दर्शाए गए किराए प्रभार के अतिरिक्त रू. 15800/- (अतिरिक्त सेवा कर) देय होगा।

यात्रा किराया और सुविधा प्रभार दोनों अग्रिम रूप में देय होगा। एक से अधिक लाइनों के लिए ट्रेन/कार बुकिंग के अनुरोध के मामले में अतिरिक्त लाइनों के लिए यात्रा किराया प्रभारित होगा परंतु अन्य लाइनों के लिए किसी भी प्रकार का सुविधा प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5.3 **स्कूल के बच्चे**

स्कूल के बच्चों के समूह के साथ में यदि स्कूल स्टाफ सहायता हेतु उपलब्ध हो तो उनसे किसी

भी प्रकार का सुविधा प्रभार नहीं लिया जाएगा। केवल उपरोक्त 5.1 में निर्दिष्ट यात्रा किराया प्रति कार प्रभारित होगा।

6.0 **बुकिंग प्रभारका परिशोधन**

6.1 **यात्री किराया** : डीएमआरसी के पास किसी भी समय यात्रा किराया संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.2 **सुविधा प्रभार**: सुविधा प्रभार में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 5% (निकटवर्ती सैकड़ा तक) की दर से वृद्धि होगी ।

7.0 **बुकिंग हेतु प्रतिभूति राशि** : चूंकि आवेदक को प्रभार अग्रिम के रूप में जमा करना होगा । इसलिए अग्रिम प्रतिभूति के रूप में जमा माना जाएगा।

8.0 **पर्यटकों/समूहों के लिए विशेष सुविधा**:

पर्यटकों/समूहों को उत्कृष्ट/यादगार यात्रा का अनुभव कराने के लिए उपलब्धता एवं संभाव्यता के आधार पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी :

(क) कार/ट्रेन को आरंभिक स्टेशन से खाली लाया जाएगा।

(ख) पर्यटक समूह की गाड़ियों की पार्किंग (लाइसेंसधारी पार्किंग वाले स्थानों को छोड़कर) के लिए निःशुल्क पार्किंग सुविधा (जगह होने पर) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) स्टेशन पर लगे यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली के माध्यम से स्वागत संदेश/उदघोषणा की जाएगी । यद्यपि बैनर आदि यदि आवश्यक हो एवं डीएमआरसी द्वारा अनुमति प्राप्त हो तो एजेंसी द्वारा बैनर की व्यवस्था कराई जाएगी।

(घ) आरंभिक या गंतव्य स्टेशन पर एक छोटे से स्थान में अनुमति के उपरांत एक 6 फीट x 6 फीट के आकार का मंडप या एक सीमित आकार का बैनर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कार्यक्रम के दौरान समूह सदस्यों एवं पर्यटक परिचालकों के बीच आपसी बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(ङ) ट्रेन में सुगमता से उतरने/चढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रवास समय (15 सेकेंड) चढ़ने एवं उतरने वाले स्टेशनों पर दिया जाएगा।

(च) आरक्षित कोच में यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए सीएफए/सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया जाएगा ।

(छ) ओसीसी के साथ समन्वय से पर्यटको/समूहों को समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ज) पर्यटक परिचालक/समूह को, यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय उद्घोषणा की व्यवस्था की जाएगी ।

(झ) सभी पर्यटकों/समूह सदस्यों को डीएमआरसी से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा यदि पर्यटक परिचालक इसकी मांग करता है और इसके लिए राशि का भुगतान करता है ।

(ञ) डीएमआरसी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो संग्रहालय/या अलग-अलग स्टेशनों पर कपड़ा उद्योग कला/ विरासत/ हथकरघा प्रदर्शनी को देखने का प्रस्ताव भी देगी । यदि पर्यटक परिचालक/समूह राशि का भुगतान करता है तो एक गाइड भी दिया जाएगा । आगे गाइड की

अदला-बदली की सुविधा है, यदि उनकी बुकिंग मे गाइड अदला-बदली की सुविधा शामिल है तो राशि के भुगतान के आधार उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। गाइड सुविधा लेने के प्रत्येक मामले में प्रति स्थान लागू सेवा कर के साथ 10000/- रुपए की राशि देनी होगी ।

(त) सुरक्षा मानकों में छूट नहीं दी जाएगी । हालांकि डीएमआरसी समूह को सुविधा देने के लिए सुरक्षा एजेंसी के साथ समन्वय करेगी ।

9.0 **बुकिंग की प्रक्रिया**

9.1 कार/ट्रेन की बुकिंग के लिए आवेदन यात्रा विवरण के साथ किसी भी मेट्रो स्टेशन या वरि. उप महाप्रबंधक/परिचाल/समन्वय को उनके कार्यालय - द्वितीय तल (II Floor), बी विंग, मेट्रो भवन, बाराखंबा रोड़, फायर ब्रिगेड लेन, नई दिल्ली-110001, ईपीएबीएक्स नं. 011-23417910, एक्स. 534774, ई-मेल abnandan@dmrc.org पर जमा किया जा सकता है । आवेदन जहां तक संभव हो बुकिंग की प्रस्तावित तिथि से अग्रिम 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9.2 आवेदक को भुगतान “दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड” के पक्ष में डीडी अथवा बैंक अंतरण के माध्यम से (यात्रा कार्यक्रम की तिथि को छोड़कर) अग्रिमतः करना होगा। बैंक अंतरण से किए गए भुगतान के मामले में आवेदक को अंतरण का विवरण जिसमें लेन-देन का यूटीआर नं., राशि एवं अंतरण की तिथि तथा आवेदक के बैंक का नाम व पता हो ई-मेल के माध्यम से पुष्टि सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा।

10 छूट

10.1 पर्यटक परिचालक या किसी सरकारी अथवा निजी एजेंसी को प्रत्येक पांचवी कार के बुकिंग अनुरोध के लिए सुविधा प्रभार में छूट नहीं मिलेगी। यात्रा के लिए पांचवी कार की बुकिंग केवल रविवार/राजपत्रित अवकास/राष्ट्रीय अवकास पर की जा सकती है।

10.2 कार बुकिंग रद्द करने पर देय छूट लागू नहीं होगी।

11 उपर्युक्त नीति में किसी भी प्रकार छूट प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से दी जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:

1. डीएमआरसी से अनुमोदित यात्रा विवरण के अनुसार यात्री/समूह/विद्यार्थी ट्रेन में चढ़ने (Boarding) वाले स्टेशन पर ट्रेन के आगमन के समय से 15 मिनट पूर्व पहुंचेगें तथा वे आरंभिक स्टेशन के स्टेशन नियंत्रण कक्ष से संपर्क करेंगे।
2. यात्री अपने सामान की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा ।
3. मेट्रो परिसर के अंदर केवल निजी प्रयोग हेतु तस्वीर लेने की अनुमति है सिवाय कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि सुरक्षा स्थान, स्टेशन नियंत्रण कक्ष एवं अन्य उपकरण कक्षों को छोड़कर ।
4. डीएमआरसी के पास किसी कारण का हवाला दिए बिना बुकिंग रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।
6. किसी अन्य गतिविधि/आवश्यकता के लिए डीएमआरसी से पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

धन वापसी के नियम

आवेदक के अनुरोध पर बुकिंग रद्द की जा सकती है । बुकिंग राशि निम्न्न प्रकार वापस की जाएगी:

रद्द करने हेतु अनुरोध का समय	**धन वापसी सुविधा प्रभार**
कम से कम इवेंट कार्यक्रम से 7 दिन पूर्व अग्रिम में (इवेंट तिथि को छोड़कर)	75%
कम से कम 3 दिन पूर्व लेकिन अग्रिम जमा करने के 7 दिन से ज्यादा नहीं । (इवेंट तिथि को छोड़कर)	50%
बुकिंग तिथि तक से 3 दिन पूर्व अग्रिम में	शून्य

नोट-1 असामान्य/विकट/दैवीय परिस्थितियों में डीएमआरसी के पास संपूर्ण बुकिंग राशि वापस करने का अधिकार होगा।

नोट-2- यदि डीएमआरसी आवेदक को बिना कारण बताए किसी भी प्रकार से बुकिंग रद्द करती है तो संपूर्ण बुकिंग राशि वापस की जाएगी।

घोषणा

(क) मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन का विषय (सामग्री) मेरी जानकारी में सत्य है।

(ख) मेरा आवेदन असत्य/जाली पाए जाने की स्थिति में अथवा अन्य किसी वयक्ति के नाम होने की स्थिति में रद्द कर दिया जाए।

(ग) कोच/कोचों/कार/ट्रेन का मार्ग अवरूद्ध होने या हमारी ओर से गंतव्य तक पहुंचने में देरी के मामले में देय प्रभार का भुगतान करने के लिए हम सहमत हैं।

(घ) मैं प्रमाणित करता हूँ कि यात्रा के दौरान मैं किसी भी ज्वलनशील अथवा जोखिम भरी सामग्री को कार में नहीं ले जाउंगा।

टूर ऑपरेटर/एजेंसी/स्कूल के प्राचार्य का लैटर हैड

<u>अनुबंध - 'ए'</u>

<u>आवेदन प्ररूप</u>

कार(रों)/ट्रेन की बुंकिग के लिए प्ररूप

दिनांक: ..../.../..............

1. पर्यटक परिचालक/स्कूल/एजेंसी का नाम : ....
2. पूरा डाक पता : ....
....
3. मोबाइल नं. एवं दूरभाष सं. : ....
4. बुकिंग का उद्देश्य : ....
5. कार(रों) की अपेक्षेति सं. : ....
6. अनुमानित यात्रियों की संख्या : ....
7. वर्ग : (क) पर्यटक परिचालक*
: (ख) सरकार/एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे विशेष विद्यालय**
: (ग)निजी विद्यालय** (कृपया सही पर टिक करें)
**इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।
8. यात्रा की तिथि :...
9. यात्रा विवरण :...
(क) बहिर्गामी यात्रा स्टेशन
..........................(आरंभिक स्टेशन) से ....(गंतव्य) तक
आरंभिक स्टेशन पर आगमन समय ....
(ख) यात्रा वापसी स्टेशन (यदि कोई हो)
..........................(आरंभिक स्टेशन) से ....(गंतव्य) तक
आरंभिक स्टेशन पर आगमन समय ....

10. कार्यक्रम का विवरण : ....
(यदि आवश्यक हो तो एक अलग पत्रक संलग्न किया जाए)

नोट: नियम व शर्तें पीछे दी गई हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....
पता ....
मोबाइल सं. ....